८. विअविअ अनुपालन

विअविअ का अर्थ है विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम। यह अधिनियम १९७६ में विदेशी धन के भारत में प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए पारित हुआ। इसके प्रावधान बहुत से लोगों को स्पष्ट नहीं है। अतः यह लोगों के लिए रहस्यमय तथा डरावना बन जाता है।

यह अनुमान है कि लगभग २६,७९९ जनसेवी संस्थाएँ[१] विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत हैं। इनमें से सभी विदेशी निधि प्राप्त नहीं करते। वर्ष २००१-०२ में, लगभग १५,००० जनसेवी संस्थाओं ने यह प्रतिवेदन दिया था कि उन्होंने ४८ अरब[२] रुपये प्राप्त किये।

विअविअ का परिपालन गृह मन्त्रालय के अधीन है। इसका केवल एक केन्द्रीय कार्यालय है परन्तु, राज्य गुप्तचर विभाग के घनिष्ठ सहयोग से यह कार्य करता है। इसका कार्यालय दिल्ली में खान मार्किट के पास स्थित है। इस कार्यालय में मिलने के घण्टे निश्चित हैं तथा आपको अन्दर जाने के लिए मिलनार्थी पास बनवाना पड़ेगा। परन्तु, आप अपना अधिकतर कार्य पत्राचार द्वारा कर सकते हैं। पत्र-व्यवहार का पता हैः

सचिव, भारत सरकार,
गृह मन्त्रालय,
(आन्तरिक सुरक्षा विभाग - विअविअ),
९वाँ तल, लोक नायक भवन,
निकट खान मार्किट, नई दिल्ली
दूरभाष (स्वागत-कक्ष): ०११-२४६९ ७६४८, २४६९ ८२५१

जब से आर्थिक उदारवाद प्रारम्भ हुआ है, विमुविअ (फेरा)[३] का प्रावधान भी धीरे-धीरे शिथिल हुआ है। इससे जनसेवी संस्थाओं के बीच यह आशा जगी है कि विअविअ को भी समाप्त कर दिया जाएगा या शिथिल कर दिया जाएगा। परन्तु ऐसा करना नीतिसंगत नहीं जान पड़ता। इसका कारण यह है कि विमुविअ आर्थिक विधान है, वहीं विअविअ की रचना आन्तरिक सुरक्षा के लिए की गई है। यही कारण है कि विअविअ विभाग को वित्त मन्त्रालय के अधीन नहीं किया जा सकता है।

क) भूमिका

विअविअ के अन्तर्गत जनसेवी संस्था तथा शासकीय कर्मचारी एवं राजनितिक दल भी सम्मिलित हैं। यद्यपि अधिनियम के प्रावधान बहुत सरल प्रतीत होते हैं, परन्तु यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है। इसमें तीन मूल अनुच्छेद हैं जो जनसेवी संस्थाओं से सम्बन्धित हैं:

विदेशी स्रोत[४] में सभी विदेशी तथा ऐसे सङ्गठन आते हैं जो विदेशियों द्वारा नियन्त्रित हैं। कोई कम्पनी जो भारत में पञ्जीकृत है, परन्तु विदेशी अन्श-धारकों[५] द्वारा नियन्त्रित हो, विदेशी स्रोत होगी। एक विदेशी जो भारत में बस गया है, परन्तु भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, विदेशी स्रोत माना जाएगा।

विदेशी स्रोत में वे भारतीय नागरिक सम्मिलित नहीं हैं जो विदेशों में रहते हैं या कार्य करते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी दातव्य संस्थाएँ, विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी सम्मलित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सङ्गठनों को भी

---

[१] अगस्त २००३ तक दातव्य संस्थाओं के शाखा कार्यालय को सम्मिलित करके।

[२] ४,८०० करोड़

[३] विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९७३।

[४] इस पर अधिक जानकारी हेतु कृप्या www.AccountAid.net पर अकाउन्टेबल ८४ देखें।

[५] ५० प्रतिशत से अधिक अंश विदेशियों के पास हों।

प्रशासन ने अधिसूचित किया है जो इस परिभाषा[1] में सम्मिलित नहीं हैं।

विदेशी अभिदानः इसका अर्थ है विदेशी स्रोत से प्राप्त कोई वस्तु, निधि या अंश। श्रमदान को परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सस्थाः इसका अर्थ है कोई भी सङ्गठन, जिसका भारत में अपना कार्यालय है, चाहे पञ्जीकृत हो या नहीं, चाहे समिति हो या नहीं। यह परिभाषा इतनी विस्तृत है कि इसमें कम्पनी, व्यावसायिक संस्थान, प्रतिष्ठान, गोष्ठीगृह[2], यहाँ तक कि महिला मण्डल भी सम्मिलित हैं।

यह अधिनियम संस्थाओं की उप-श्रेणियाँ भी बनाता है। यह वे संस्थाएँ होती हैं जिनका एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होता है। व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो इसमें सभी जनसेवी संस्थाएँ आ जाती हैं।

इस उप-श्रेणी के लिए एक प्रतिबन्ध है। वे विअविअ में पञ्जीकरण कराए बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वे पञ्जीकृत नहीं हैं तो उन्हें प्रत्येक विदेशी अभिदाय के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी।

ख) पञ्जीकरण या पूर्वानुमति

विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकरण प्राप्त करने के लिए, आपको प्रारूप विअ – ८ भरकर विअविअ कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्रारूप विअ – ८ को २४ जनवरी २००० में संशोधित किया गया है। सामान्यतः जो संस्था हाल ही में बनी हैं उन्हें तीन वर्ष से पूर्व पञ्जीकरण प्रदान नहीं किया जाता है।

यदि आपका पञ्जीकरण नहीं हो पाया है तो आप प्रारूप विअ – १क भर कर पूर्वानुमति हेतु आवेदन कर सकते हैं। साधारणतः इस प्रक्रिया में ९० से १२० दिन का समय लगता है। प्रारूप विअ – १क को २४ जनवरी २००० में संशोधित किया गया है।

इस अधिनियम में विअविअ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, कारावास समेत कई दण्ड विहित हैं। विअविअ कार्यालय के कुछ आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है।

ग) छात्रवृत्ति[3]

यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में ३६,००० रुपये से अधिक छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति इत्यादि किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त करता है, तो उन्हें प्राप्ति से ३० दिनों के अन्दर इसकी सूचना विअविअ कार्यालय को देनी होगी। इसके लिए प्रारूप विअ – ५ का प्रयोग किया जाता है।

घ) अलग बैङ्क खाता

विअविअ पञ्जीकरण हेतु आवेदन करने से पूर्व आपको एक अलग बैङ्क खाता खोलना होगा। खाता खोलने के लिए आप अपने स्थानीय निधि से थोड़ी राशि जमा कर सकते हैं। इस खाते का प्रयोग विअविअ पञ्जीकरण प्राप्त होने तक न करें। एक बार पञ्जीकरण प्राप्त होने पर आपको इसका प्रयोग केवल विदेशी स्रोत के लिए करना होगा। आप इस बैङ्क खाते को नहीं बदल सकते जब तक कि विअविअ कार्यालय आपको इस खाते को बदलने की विशेष अनुमति नहीं देता।

यदि आपने पूर्वानुमति के आधार पर निधि प्राप्त की है, तो उसे भी आपको अलग बैङ्क खाते में जमा करवाना होगा। इस खाते का क्रमांक अनुमति हेतु आवेदन करते समय प्रारूप विअ – १क में भरना होता है।

---

[1] लेखा-योग संग्रह ४० और ४१ में भारतीय एवं विदेशी स्रोतों की एक सूची प्रदान की गई है। www.AccountAid.net पर उपलब्ध।

[2] क्लब

[3] इस पर अधिक जानकारी के लिए www.AccountAid.net पर अकाउन्टेबल ३५ देखें।

ङ) अलग खाता-पुस्तकें

यदि आप विदेशी निधि प्राप्त करते हैं, तो आपको विशेष रूप से ऐसी निधि हेतु बहियों (रोकड़-बही तथा खाता-बही) का अलग समूह रखने की आवश्यकता होगी। कई दातव्य संस्थाएँ अलग खाते रखने के लिए कहती हैं- इसका सामान्य अर्थ होता है अलग खाता-बही (लेज़र अकाउन्ट)। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप प्रत्येक दातव्य संस्था के लिए अलग विअविअ रोकड़-बही रखें। यदि आप विअविअ के लिए एक से अधिक रोकड़-बही रखते हैं तो सामान्यतः विअविअ निरीक्षक इस पर आपत्ति करते हैं।

यदि आपकी विअविअ परियोजना में स्थानीय अभिदाय भी सम्मिलित है, तो स्थानीय अभिदाय को विअविअ खाते में सम्मिलित नहीं करना चाहिए - इसे भारतीय अभिदाय हेतु रखे गये रोकड़-बही में सम्मिलित करना चाहिए।

च) विअ-६ रखना[१]

यदि आप विदेशी अभिदाय वस्तु इत्यादि रूप में भी प्राप्त करते हैं, तो आपको इसके लिए व्यवस्थित वस्तु पञ्जिका (विअ-६) रखनी होगी। इस वस्तु पञ्जिका का स्वरूप प्रारूप विअ-६ में दिया गया है। यह पञ्जिका आपके कार्यालय में रखी जाएगी तथा इसे विअविअ कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

इस पञ्जिका का सार प्रत्येक वर्ष प्रारूप विअ - ३ में एकीकृत किया जाता है। यह विअविअ में एक प्रतिवेदन की तरह प्रस्तुत की जाएगी।

छ) विअ-३ जमा करना[२]

एक बार विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत हो जाने के पश्चात् आपको वार्षिक विवरण जमा कराना होगा। इस विवरण में यह जानकारी सम्मिलित रहती है कि आपने विदेशी स्रोत से १ अप्रैल से अगले ३१ मार्च तक कितना धन तथा सामान प्राप्त किया है। यह प्रत्येक वर्ष ३१ जुलाई तक विअविअ कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। आपको यह प्रारूप जमा करना ही होगा, भले ही आपने वर्ष में कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त न किया हो।

वे जनसेवी संस्थाएँ जिन्होंने पूर्वानुमति के आधार पर विदेशी निधि या सामान प्राप्त किया है उन्हें भी इस प्रारूप को जमा करना होगा। जब तक प्राप्त निधि का पूर्णतः उपयोग नहीं हो जाता, उन्हें इस प्रारूप को जमा करते रहना होगा।

विवरणी जमा करने हेतु जुलाई २००१ में संशोधित नवीनतम विअ - ३ प्रारूप प्रयोग करें। प्रारूप विअ - ३ के साथ आपको अङ्केक्षित तुलन-पत्र तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी जमा करवाना होगा। यह केवल विअविअ निधि से सम्बन्धित होनी चाहिए। इसमें भारतीय निधि को न मिलाएँ। इसके साथ आय एवं व्यय खाते को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रारूप विअ - ३ के साथ आपके अङ्केक्षक द्वारा दिया गया अङ्केक्षण प्रतिवेदन भी होना चाहिए। यह भाग अङ्केक्षण पूर्ण करने के पश्चात् उनके द्वारा भरा जायेगा तथा हस्ताक्षरित होगा।

सभी दृष्टिकोण से पूर्ण प्रारूप, अङ्केक्षण प्रतिवेदन के साथ पञ्जीकृत डाक द्वारा विअविअ कार्यालय को भेजें। प्राप्ति-स्वीकृति पत्र[३] संलग्न करें ताकि आप सुपुर्दगी का साक्ष्य प्राप्त कर सकें। यह प्रारूप पहले ही भेजें जिससे कि यह ३१ जुलाई तक पहुँच जाए।

यदि आप किसी ऐसे कारण से जो कि आपके नियन्त्रण में नहीं है, ३१ जुलाई से पहले प्रारूप जमा कराने में असमर्थ हैं तो विअविअ कार्यालय को पत्र द्वारा समस्या के बारे में बताएँ। वह दिन भी बताएँ जिस दिन तक आपके विचार से आप प्रारूप

---

[१] इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए www.AccountAid.net पर उपलब्ध अकाउन्टेबल ५८ः विअविअ-६ का रखना देखें।

[२] इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन हेतु www.AccountAid.net पर उपलब्ध अकाउन्टेबल की २०, ७२ एवं ७३ श्रृंखला देखें।

[३] एक्नोलेजमेन्ट कार्ड

भेजने में समर्थ हो जाएँगे। यद्यपि दिन बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु सामान्यतः विभाग देरी का युक्तियुक्त कारण होने पर जनसेवी संस्था के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता।

ज) अपञ्जीकृत संस्था को अंतरण

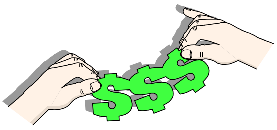

किसी भी परिस्थिति में विअविअ निधि का अंतरण किसी भी ऐसी जनसेवी संस्था को न करें जिसके पास विअविअ पञ्जीकरण या पूर्वानुमति नहीं है। यदि विअविअ कार्यालय ने आपको ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो आप स्वयं अपना ही विअविअ पञ्जीकरण खो सकते हैं तथा अन्य दण्ड के भी भागी हो सकते हैं।

यह ध्यान रखें कि यदि प्राप्तकर्ता के पास विअविअ पञ्जीकरण या पूर्वानुमति नहीं है, तो विधिक परियोजनाधारी, रोकड़-अन्तरण, छाया-दान[१], तन्त्र-निधियन[२] इत्यादि का प्रबन्ध करना अवैध है। यह भी ध्यान रखें की विअविअ जाँच केवल लेखा-पुस्तकों तक सीमित नहीं है- वे क्षेत्र में जाकर पूछताछ कर सकते हैं। वे स्थानीय अन्वेषण पदाधिकारियों से भी सूचना ले सकते हैं।

झ) बैङ्क ब्याज

विअविअ बैङ्क खाते से मिला ब्याज विदेशी अभिदाय की तरह माना जाता है। इसे विअविअ बैङ्क खाते में ही रखा जाना चाहिए तथा विअ - ३ में इसकी जानकारी देनी चाहिए। समान रूप से यही नियम विअविअ निधि से किए गए अल्पकालीन विनियोग या जमा पर प्राप्त ब्याज पर भी लागू होगा।

सीडा यह अपेक्षा करती है कि सीडा निधि से अर्जित कोई भी ब्याज बाद की किश्तों से समायोजित किया जायेगा या सीडा परियोजना निधि का भाग माना जायेगा एवं तद्नुसार प्रयोग होगा। विकल्प के रूप में सीडा आपको ब्याज की राशि स्वयं को वापस करने का निर्देश दे सकती है।

---

[१] शैडो लेन्डिङ्ग

[२] नेटवर्क फन्डिङ्ग